



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232249
CG-DL-E-29122021-232249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736]
No. 736]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2021/पौष 8, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021/PAUSA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 55/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 904(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 12 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"28.	0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 00	सभी वस्तुएं	30%	-	-";
------	--	-------------	-----	---	-----

- (ii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00 या 1211 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 76 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1516 20, 1516 30 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “1516 20, 1516 30 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 218 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3002 49 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 249क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3822 90 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 250 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (3809 10 00 को छोड़कर), 3810, 3812, 3815, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00, 3824 (3824 60 को छोड़कर) या 3827” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 253 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3824 99 00, 8505 11 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 271 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3907 29 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 349 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “71 (7104 99 00 को छोड़कर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 402 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक “8517 70 10” के स्थान पर अंक “8517 79 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 418 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3824 99 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 426 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8548 90 00” के स्थान पर अंक “8548 00 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 452 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “वाटर हीटर्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 452क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी वस्तुएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 485क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8501 10, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 502 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8525 89 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 502क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 511 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8525 80” के स्थान पर अंक “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 513 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (vi) में, अंक “8525 20 80” के स्थान पर अंक “8525 81 से 8525 89” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 515क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक “8529” के स्थान पर अंक “8524” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xxii) क्रम संख्या 515ख के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक "8529" के स्थान पर अंक "8524" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiii) क्रम संख्या 516 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक "8529" के स्थान पर अंक "8524" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiv) क्रम संख्या 518 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8549 (8549 99 00 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxv) क्रम संख्या 535 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक "8802" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजीटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxvi) क्रम संख्या 535क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक "8802" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजीटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxvii) क्रम संख्या 536 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (क) में, अंक "8802" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "8802 या 8806 (टेलीविजन कैमरा, डिजीटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxviii) क्रम संख्या 538 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxix) क्रम संख्या 545 के समक्ष, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि "8802 (8802 60 00 को छोड़कर) या 8806" को और प्रविष्टि "टेलीविजन कैमरा, डिजीटल कैमरा या विडियो कैमरा रिकार्डर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट को छोड़कर सभी वस्तुएं" को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxx) क्रम संख्या 547 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxxi) क्रम संख्या 587 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405 00 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 सितंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 708(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

No. 55/2021-Customs

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),

No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) for serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“28.	0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 00	All goods	30%	-	-”;
------	------------------------------------	-----------	-----	---	-----

- (ii) against serial number 49, in column (2), for the entry, the entry “1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00 or 1211 90” shall be substituted;
- (iii) against serial number 76, in column (2), for the entry, the entry “1516 20, 1516 30 00” shall be substituted;
- (iv) against serial number 77, in column (2), for the entry, the entry “1516 20, 1516 30 00” shall be substituted;
- (v) against serial number 218, for the entry in column (2), the entry “3002 49 10” shall be substituted;
- (vi) against serial number 249A, for the entry in column (2), the entry “3822 90 90” shall be substituted;
- (vii) against serial number 250, for the entry in column (2), the entry “3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (except 3809 10 00), 3810, 3812, 3815, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00, 3824 (except 3824 60) or 3827” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 253, for the entry in column (2), the entry “3824 99 00, 8505 11 90” shall be substituted;
- (ix) against serial number 271, for the entry in column (2), the entry “3907 29 10” shall be substituted;
- (x) against serial number 349, for the entry in column (2), the entry “71 (except 7104 99 00)” shall be substituted;
- (xi) against serial number 402, in the entry in column (3), in item (a), for the figure “8517 70 10”, the figure “8517 79 10” shall be substituted;
- (xii) against serial number 418, for the entry in column (2), the entry “3824 99 00” shall be substituted;
- (xiii) against serial number 426, in the entry in column (3), for the figure “8548 90 00” the figure “8548 00 00” shall be substituted;
- (xiv) against serial number 452, for the entry in column (3), the entry “Water heaters” shall be substituted;
- (xv) against serial number 452A, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;
- (xvi) against serial number 485A, for the entry in column (2), the entry “8501 10, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72” shall be substituted;
- (xvii) against serial number 502, for the entry in column (2), the entry “8525 89 00” shall be substituted;
- (xviii) against serial number 502A, for the entry in column (2), the entry “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xix) against serial number 511, for the entry in column (3), for the figures “8525 80”, the figures “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xx) against serial number 513, for the entry in column (3), in the item (vi), for the figures “8525 20 80” the figures “8525 81 to 8525 89” shall be substituted;
- (xxi) against serial number 515A, in the entry of column (3), for the figures “8529,” the figures “8524” shall be substituted;
- (xxii) against serial number 515B, in the entry of column (3), for the figures “8529”, the figures “8524” shall be substituted;
- (xxiii) against serial number 516, in the entry of column (3), for the figures “8529”, the figures “8524” shall be substituted;
- (xxiv) against serial number 518, for the entry in column (2), the entry “8549 (except 8549 99 00)” shall be substituted;

- (xxv) against serial number 535, in the entry in column (3), in the item (a), for the figures “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxvi) against serial number 535A, in the entry in column (3), in the item (a), for the figure “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxvii) against serial number 536, in the entry in column (3), in the item (i), for the figures “8802”, the figures, letters and words “8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)” shall be substituted;
- (xxviii) against serial number 538 for the entry in column (2), the entry “8807” shall be substituted;
- (xxix) against serial number 545, for the entry in column (2) and column (3), the entry “8802 (except 8802 60 00) or 8806” and “All goods except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder” shall respectively be substituted;
- (xxx) against serial number 547, for the entry in column (2), the entry “8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00” shall be substituted;
- (xxxi) against serial number 587, for the entry in column (2), the entry “9405 00 00” shall be substituted;

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th day of June, 2017 and last amended *vide* notification No. 46/2021-Customs, dated the 30th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708(E), dated the 10th day of September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 56/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 905(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 116 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 21, 5703 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 117 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 31, 5703 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 136 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5802 10 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 213 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-